एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, और काजू, इत्यादि उत्पादों के चैमुखी विकास।
2	कार्यक्षेत्र	मध्यप्रदेश के 40 जिलों में (भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर,, विदिषा, होशंगाबाद, हरदा, बैतुल, ग्वालियर, गुना, दतिया, अशोकनगर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहापुर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, जबलपुर, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना)
3	घटक का नाम	रोपण आधारभूत संरचना विकास 1. हाईटेक नर्सरी 4 हैक्टेयर 2. टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना
4	चयनित फसले	उद्यानिकी फसलें
5	स्वयरूप	आनुपातिक आधार पर परियोजना से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत जो कि 100 लाख रुपये प्रति इकाई तक सीमित होगी और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी लागत की 40 फीसदी जो की अधिकत 40 रुपये प्रति इकाई तक सीमित होगी। प्रत्येक बागान प्रतिवर्ष एक हेक्टेयर में न्यूनतम 50 हजार गुणवत्ता वाले बारहमासी फल/पौधे/रोपण लायक पौधों का उत्पादन।
6	कृषक की पात्रता	सभी वर्ग
7	अनुदान की पात्रता	सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी लागत की 40 फीसदी जो की अधिकत 40 रुपये प्रति इकाई तक सीमित होगी।
8	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	1- कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य हैं। 2- हितग्राही/उद्यमी संचालनालय की वेबसाईट पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर पंजीयन प्राप्त कर सुंसगत दस्ताष्वेजों को संचालनालय में प्रस्तुत करें। 3- योजना का क्रियांवयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा।
9	संपर्क	जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि.
10	ऑनलाई आवेदन	पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन mpfsts पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
11	आवेदन हेतु दस्ताऑवेज	फोटो, आधार, खसरा नंबर/B1 की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, और काजू, इत्यादि उत्पादों के चैमुखी विकास।
2	कार्यक्षेत्र	जिला - बैतूल
3	घटक का नाम	नए बागानों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार-प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर हेतु) **काजू रोपण (गैर समेकित)**
4	चयनित फसलें	काजू रोपण
5	स्वूरूप	आईएनएम/आईपीएम, के लिए जरूरी सामग्री की कीमत और रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लागत के 40 प्रतिशत की दर से प्रति हेक्टेयर अधिकतम 20,000 रुपये की मदद। दूसरे साल में 75 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत पौधों के बने रहने की स्थिति में यह मदद 60:20:20 के अनुपात में तीन किष्तों में।
6	कृषक की पात्रता	सभी वर्ग
7	अनुदान की पात्रता	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 20,000 रूपये।
8	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	1. कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य हैं। 2. योजना का क्रियांवयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा। 3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिये। 4. हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहियें। 5. सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। 6. कृषकों को नवीन भूमि पर अथवा खाद्यान फसलों के स्थान पर फलोद्यान विकसित करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
9	संपर्क	जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि.
10	ऑनलाई आवेदन	पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन mpfsts पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
11	आवेदन हेतु दस्ताऑवेज	फोटो, आधार, खसरा नंबर/B1 की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, और काजू, इत्यादि उत्पादों के चैमुखी विकास।
2	कार्यक्षेत्र	मध्यप्रदेश के 40 जिलों में (भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर,, विदिषा, होशंगाबाद, हरदा, बैतुल, ग्वालियर, गुना, दतिया, अशोकनगर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहापुर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, जबलपुर, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना)
3	घटक का नाम	मशरूम 1. उत्पादन इकाई 2. कवक निर्माण इकाई 3. खाद निर्माण इकाई
4	स्वूरूप	आधारभूत संरचना के विकास पर आने वाली लागत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध बैक एंडेड सब्सिडी के आधार पर लागत का 40 प्रतिशत की मदद।
5	कृषक की पात्रता	सभी वर्ग
6	अनुदान की पात्रता	1. उत्पादन इकाई - रुपये 20 लाख/ इकाई का 40 प्रतिशत 2. कवक निर्माण इकाई - रुपये 15 लाख/ इकाई का 40 प्रतिशत 3. खाद निर्माण इकाई - रुपये 20 लाख/ इकाई का 40 प्रतिशत
7	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	1. कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य हैं। 2. हितग्राही/उद्यमी संचालनालय की वेबसाईट पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर पंजीयन प्राप्त कर सुंसगत दस्ताष्वेजों को संचालनालय में प्रस्तुत करें। 3. योजना का क्रियांवयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा।
8	संपर्क	जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि.
9	ऑनलाई आवेदन	पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन mpfsts पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
10	आवेदन हेतु दस्ताऑवेज	फोटो, आधार, खसरा नंबर/B1 की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, और काजू, इत्यादि उत्पादों के चैमुखी विकास।
2	कार्यक्षेत्र	मध्यप्रदेश के 40 जिलों में (भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर,, विदिषा, होशंगाबाद, हरदा, बैतुल, ग्वालियर, गुना, दतिया, अशोकनगर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहापुर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, जबलपुर, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना)
3	घटक का नाम	संरक्षित खेती 1. ग्रीन हाउस ढांचा (पॉली हाउस) 2. छायादार जाली गृह (षेडनेट हाउस) 3. प्लास्टिक की पलवार (मल्चिंग) 4. पॉली गृह/छायादार जाली गृह के तहत उच्च कोटी सब्जी एवं फुलों की खेती और रोपण सामग्री की लागत
4	चयनित फसलें	शंकर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, गुलाब, कार्नेशन, झारबेरा, लिली
5	स्वररूप	प्रति लाभार्थी लागत का 50 प्रतिशत।
6	कृषक की पात्रता	सभी वर्ग
7	अनुदान की पात्रता	1. ग्रीन हाउस ढांचाः- प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत 2. छायादार जाली गृहः- प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत 3. प्लास्टिक की पलवार (मल्चिंग) :- प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत 4. पॉली गृह/छायादार जाली गृह के तहत उच्च कोटी सब्जी एवं फुलों की खेती और रोपण सामग्री की लागतः- प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत
8	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	1. कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य हैं। 2. योजना का क्रियांवयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा। 3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिये। 4. हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहियें। 5. सामान्य , अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। 6. कृषकों को नवीन भूमि पर अथवा खाद्यान फसलों के स्थान पर फलोद्यान विकसित करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
9	संपर्क	जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि.
10	ऑनलाई आवेदन	पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन mpfsts पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
11	आवेदन हेतु दस्ताऑवेज	फोटो, आधार, खसरा नंबर खतोनी प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, और काजू, इत्यादि उत्पादों के चैमुखी विकास।
2	कार्यक्षेत्र	मध्यप्रदेश के 40 जिलों में (भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर,, विदिषा, होशंगाबाद, हरदा, बैतुल, ग्वालियर, गुना, दतिया, अशोकनगर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहापुर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, जबलपुर, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना)
3	घटक का नाम	जैविक खेती वर्मी खाद इकाई/जैविक आदान उत्पादन
4	स्वमरूप	प्रति लाभार्थी लागत का 50 प्रतिशत।
5	कृषक की पात्रता	सभी वर्ग
6	अनुदान की पात्रता	एचडीपीई वर्मीबेड के लिए 96 घन फीट (12ग्4ग्2) इकाई लागत रू. 16000 का 50 प्रतिशत।
7	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	1. कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य हैं। 2. योजना का क्रियांवयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा। 3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिये। 4. हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहियें। 5. सामान्य , अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। 6. कृषकों को नवीन भूमि पर अथवा खाद्यान फसलों के स्थान पर फलोद्यान विकसित करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
8	संपर्क	जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान , विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि.
	ऑनलाई आवेदन	पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन mpfsts पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
	आवेदन हेतु दस्ताऑवेज	फोटो, आधार, खसरा नंबर खतोनी प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, और काजू, इत्यादि उत्पादों के चैमुखी विकास।
2	कार्यक्षेत्र	मध्यप्रदेश के 40 जिलों में (भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर,, विदिषा, होशंगाबाद, हरदा, बैतुल, ग्वालियर, गुना, दतिया, अशोकनगर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहापुर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, जबलपुर, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना)
3	घटक का नाम	मधुमक्खी पालन के द्वारा परागण का बढ़ाना 1. मधुमक्खी प्रजनक द्वारा मधुमक्खी छत्ते का निर्माण 2. मधुमक्खी के छत्ते 3. मधुमक्खी-पेटिका शहद निकालने वाले (4 फ्रेम) फूड ग्रेड कंटेनर (30 किलोग्राम), जाली समेत मधुमक्खी पालन सेट
4	स्वमरूप	प्रति लाभार्थी लागत का 40 प्रतिशत
5	कृषक की पात्रता	सभी वर्ग
6	अनुदान की पात्रता	1. मधुमक्खी प्रजनक द्वारा मधुमक्खी छत्ते का निर्माणः- रुपये 10 लाख/ इकाई का 40 प्रतिशत 2. मधुमक्खी के छत्तेः- प्रति लाभार्थी 8 फ्रेम वाले छत्ता अधिकतम 50 छत्ते के लिए 2000 रुपये इकाई लागत का 40 प्रतिशत 3. मधुमक्खी-पेटिकाः- प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 छत्ते के लिए 2000 रुपये इकाई लागत का 40 प्रतिशत 4. शहद निकालने वाले फूड ग्रेड कंटेनर , जाली समेत मधुमक्खी पालन सेटः- प्रति लाभार्थी एक सेट के लिए इकाई लागत 20,000 रुपये/सेट का 40 प्रतिशत।
7	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	1. कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य हैं। 2. योजना का क्रियांवयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा। 3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिये। 4. हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहियें। 5. सामान्य , अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। 6. कृषकों को नवीन भूमि पर अथवा खाद्यान फसलों के स्थान पर फलोद्यान विकसित करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
8	संपर्क	जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि.
9	ऑनलाई आवेदन	पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन mpfsts पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
10	आवेदन हेतु दस्ताऑवेज	फोटो, आधार, खसरा नंबर खतोनी प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, और काजू, इत्यादि उत्पादों के चैमुखी विकास।
2	कार्यक्षेत्र	मध्यप्रदेश के 40 जिलों में (भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर,, विदिषा, होशंगाबाद, हरदा, बैतुल, ग्वालियर, गुना, दतिया, अशोकनगर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहापुर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, जबलपुर, छिंदवाडा, डिण्डोरी, मण्डला, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना)
3	घटक का नाम	**बागवानी यंत्रीकरण** 1. पावर टिलर (8 बीएचपी से कम) 2. पावर टिलर (8 बीएचपी और उससे अधिक) 3. यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्युत चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक)
4	स्ववरूप	**बागवानी यंत्रीकरण** 1. पावर टिलर (8 बीएचपी से कम) 2. पावर टिलर (8 बीएचपी और उससे अधिक) 3. यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्युत चालित ताप्रति लाभार्थी सामान्य वर्ग लागत का 40 प्रतिशत एवं महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिशत।इवान स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक)
5	कृषक की पात्रता	सभी वर्ग
6	अनुदान की पात्रता	1. पावर टिलर (8 बीएचपी से कम) :- सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 40,000 रुपये/ इकाई। महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये/इकाई। 2. पावर टिलर (8 बीएचपी और उससे अधिक) :- सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 60,000 रुपये/ इकाई। महिला किसानों , अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 75,000 रुपये/इकाई। 3. यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक) :- सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.08 रुपये/ इकाई। महिला किसानों , अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.10 रुपये/इकाई।
7	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	1. कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य हैं। 2. योजना का क्रियांवयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा। 3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिये। 4. हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहियें। 5. सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। 6. कृषकों को नवीन भूमि पर अथवा खाद्यान फसलों के स्थान पर फलोद्यान विकसित करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
8	संपर्क	जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि.
9	ऑनलाई आवेदन	पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन mpfsts पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
10	आवेदन हेतु दस्ताऑवेज	फोटो, आधार, खसरा नंबर खतोनी प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, और काजू, इत्यादि उत्पादों के चैमुखी विकास।
2	कार्यक्षेत्र	मध्यप्रदेश के सभी जिलों में
3	घटक का नाम	**फसलोपरांत समेकित प्रबंधन** 1. समेकित भंडारगृह 2. कोल्ड स्टोरेज 3. कोल्ड स्टोरेज चेन का तकनीकी अधिष्ठापन एवं आधुनिकीकरण 4. पक्वन कक्ष
4	स्वोरूप	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
5	कृषक की पात्रता	सभी वर्ग
6	अनुदान की पात्रता	प्रति लाभार्थी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध बैक एंड सब्सिडी। जबकि, पहाड़ी और अधिसूचित क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत।
7	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	1. कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य हैं। 2. योजना का क्रियांवयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा। 3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिये। 4. हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहियें। 5. सामान्य , अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। 6. कृषकों को नवीन भूमि पर अथवा खाद्यान फसलों के स्थान पर फलोद्यान विकसित करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
8	संपर्क	जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि.
9	ऑनलाई आवेदन	पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन mpfsts पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
10	आवेदन हेतु दस्ताऑवेज	फोटो, आधार, खसरा नंबर खतोनी प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र